

कार्यालय : - वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, शाहपुरा, जिला - जयपुर

क्रमांक - ०४/म्पा०

:: कार्यालय आदेश ::

दिनांक 31/03/2020

कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 8/पी.ए./2020 दिनांकित 17.03.2020 के जरिये दिनांक 14.04.2020 तक आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई किये जाने के दिशा निर्देश दिये गये हैं तथा शेष प्रकरणों को दिनांक 14.04.2020 के पश्चात् नियत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसकी पालना में इस कार्यालय की दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक प्रकरणों में निम्नानुसार तारीख पेशी नियत की जाती है।

इस दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्य जमानत प्रार्थना पत्रों, सुपुर्दगी प्रार्थना पत्रों, रिमाण्ड, बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी की सुनवाई, न्यायिक अभिरक्षा व नये स्टे प्रार्थना पत्रों एवं अति आवश्यक कार्य दिनांक 14.04.2020 तक समय 02:00 पीएम से 04:00 पी.एम पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाया वाट्सएप, ई-मेल के जरिये की जावेगी।

क.सं.	पेशी की दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1.	01.04.2020	01.07.2020
2.	03.04.2020	03.07.2020
3.	04.04.2020	04.07.2020
4.	07.04.2020	07.07.2020
5.	08.04.2020	08.07.2020
6.	09.04.2020	09.07.2020
7.	13.04.2020	13.07.2020

Rhoad
31/3/20

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा, जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक : 69

दिनांक : 31/03/2020

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला जयपुर।
2. दी वार एसोसिएशन शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. समाचार पत्र दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका।
4. आदेश पत्रावली/कार्यालय पत्रावली।
5. नोटिस बोर्ड।

Rhoad
31/3/20

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा, जयपुर जिला, जयपुर